उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-161 /2018/2348/92-2-18-03जांच/2018

लखनऊ:: दिनांक:: 12 नवम्बर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सहारनपुर में अवर अभियंता के पद पर कार्यकाल के दौरान निर्माण कार्यो/शासकीय कार्यो के सम्पादन में बरती गयी कतिपय अनियमितताओं में अंतर्ग्रस्त पाये जाने पर श्री अजय पाल सिंह, तत्का0 अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सहारनपुर सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-एटा के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-31/2018/213/92-2-18-03जांच/18 दिनांक 13-02-2018 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया था। कालान्तर में प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही को अपचारी अधिकारी, श्री अजयपाल सिंह के अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30-09-2018 को सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-160/2018/2345/92-2-18-03जांच/18 दिनांक 12-11-2018 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित कर दिया गया।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-202/ग्रा0अ0वि0/ अनु0जांच/अजय पाल/एस0टी0-42/2018-19 दिनांक 23-05-2018 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 07 आरोपों में से आरोप संख्या-3 व 7 आंशिक रूप से स्थापित पाये जाने पर शासन के पत्र संख्या-1353/92-2-17-03जांच/2018 दिनांक 05-06-2018 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया जो उनके पत्र दिनांक 04-09-2018 के माध्यम से शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी पर आरोप सं0-3 व 7 आंशिक रूप से स्थापित पाये गये, परन्तु आरोप सं0-3 व 7 में किसी प्रकार की शासकीय क्षति निहित न होने तथा अपचारी अधिकारी के अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30-09-2018 को सेवानिवृत्त हो जाने पर प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर न रह जाने के दृष्टिगत अपचारी अधिकारी श्री अजय पाल सिंह, सहायक अभियंता, प्रखण्ड-एटा के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13-02-2018 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही, जिसे शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12-11-2018 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351 में परिवर्तित किया जा चुका है को बिना दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**संख्या- 161/2018/2348 /(1)/92-2-2018 तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- श्री अजय पाल सिंह, तत्का0 अ0अभि0, सम्प्रति सहायक अभियंता, प्रखण्ड-एटा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सहारनपुर (सेवानिवृत्त) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( अवध नारायण )
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।